

डिक्री एवं मुकदमे ईबतादाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 126/2023

- 1 दलप्रीत सिंह पुत्र गमदूर सिंह जटसिख सा. लम्बीढाब तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 2 देवेन्द्र सिंह पुत्र गमदूर सिंह जटसिख सा. लम्बीढाब तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

— वादीगण

बनाम

- 1 गमदूर सिंह पुत्र हरचन्द सिंह जटसिख सा. लम्बीढाब तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 2 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादीगण व अधिवक्ता प्रति स. 1 गुरमीत सिंह कलसी एड. मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 8 ए.एम.पी. खाता स. 16/12 खाता गमदुर सिंह ज.स. 2071-74 में प्रति स. 1 गमदुर सिंह के नाम दर्ज आराजी में वादी स. 2 कुल 1.265 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार है। अतः वादी स. 2 का खाता दावा की दफा 4 के अनुसार अलग कायम किया जावे व उक्त आराजी का खाता वादी स. 2 के नाम अलग कायम किया जावे व प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जावे। दावा की दफा 4 के अनुसार वादी स. 2 का हिस्सा:-

वादी स. 2 देवेन्द्र सिंह पुत्र गमदुर सिंह का कब्जा:-

चक 8 ए.एम.पी. खाता स. 16/12 प.न. 156/149 मु.न. 12 किला न. 16/1/.228 16/2/.025 गै.मु.खाला 17-23-24/.253प्र. 25/1/.228 25/2/.025 गै.मु.खाला कुल 1.265 है0

नोट:- यदि प्रशनगत भुमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.......... निल.......... मुब्लिक.......... निल.......... बाबत्
.......... निल.......... खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी
सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3.2.2024 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

